

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(134)एम.ई. / ग्रुप-1 / 87

जयपुर, दिनांक : 17 APR 2013

— :: आदेश :: —

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 (ए) के उप नियम 8 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को वर्ष 2012-13 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक आचार्य, पी.एस.एम. के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेजों में तुरन्त प्रभाव से सहायक आचार्य, पी.एस.एम. के पद पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पद व पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० धर्मेश शर्मा	सहायक आचार्य, पी.एस.एम. (RPSC-2012) मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सहायक आचार्य, पी.एस.एम. मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2.	डॉ० गिरधारी लाल सैनी	वरिष्ठ प्रदर्शक-पी.एस.एम. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	सहायक आचार्य, पी.एस.एम. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 5(328)डीपीसी/2012-13/482, दिनांक 12-3-2013 के सन्दर्भ में।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षको को उनके प्रधानाचार्य के माध्यम से।
7. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव